

पत्रांक-3ए-9-विविध-02/2018 - 635 /वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 24/01/2018

विषय :- दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण/उत्क्रमण के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को पूर्व में PB-3+5400/- में उत्क्रमण/एम०ए०सी०पी० प्राप्त वित्तीय उन्नयन के वेतनमान दि०-01/01/16 से अनुमान्य पुनरीक्षित वेतन स्तर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण/उत्क्रमण के फलस्वरूप वित्त विभागीय पत्रांक-8928, दिनांक-15/11/2017 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2. वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा यह सूचना दी गई है कि उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सीधे वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय से संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

3. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि वित्त विभागीय पत्रांक-8928, दिनांक-15/11/2017 के आलोक में संबंधित पदाधिकारी को एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के आलोक में Level-11 स्वीकृत करने संबंधी आदेश अपेक्षित प्रक्रिया अपना कर निर्गत किया जाय। इस आदेश की सूचना महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय एवं वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग द्वारा ससमय वेतन-पूर्जा निर्गत किया जा सके। विषयांकित पत्र के संदर्भ में व्यक्तिगत आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जानी है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-3ए-9-विविध-02/2018- 635/वि०

पटना, दिनांक-24/01/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-02/2018- 635/वि०

पटना, दिनांक-24/01/2018

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/
सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/2018
(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।